रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 28, 2019/ज्येष्ठ 7, 1941
No. 320] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 28, 2019/JYAISTHA 7, 1941

IndiaCode

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

सा.का.नि. 381(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), खंड (ञञ) और खंड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) द्वितीय संशोधन नियम, 2019 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उपनियम (5) के परंतुक के खंड (i) में निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां कोई व्यक्ति जेल में बंदी है, वहां जेल के भारसाधक अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगाया जाएगा और उक्त अधिकारी अपने हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेगा और खाता, जेल के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी पते के सबूत के प्रमाणपत्र के वार्षिक प्रस्तुतिकरण पर प्रवर्तनशील हो जाएगा ।"।

[फा.सं. पी-12011/15/2018-ईएस सेल-डीओआर]

बिप्लब कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनका संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 108(अ), तारीख 13 फरवरी, 2019 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2019

G.S.R. 381(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, in rule 9, in sub-rule (5), in the proviso, in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that where the individual is a prisoner in a jail, the signature or thumb print shall be affixed in presence of the officer in-charge of the jail and the said officer shall certify the same under his signature and the account shall remain operational on annual submission of certificate of proof of address issued by the officer in-charge of the jail.".

[F.No. P-12011/15/2018-ES Cell-DOR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note: The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* numbers G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and were last amended vide G.S.R. 108(E) dated 13th February, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.05.29 11:07:21 +05'30'